रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1888]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5,1938
No. 1888]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/SRAVANA 5, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2016

का. आ. 2548(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है ;

और, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट करने वाला रेखांक संख्यांक आर.ई.वी./04/2016, तारीख 1 अप्रैल, 2016 का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), दरभंगा हाउस, राँची–834029 (झारखण्ड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, रजहारा क्षेत्र, जिला लातेहार (झारखण्ड) के कार्यालय में या उपायुक्त, जिला लातेहार (झारखण्ड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), आर.आई.-III, केन्द्रीय खान योजना और डिजाईन संस्थान, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, राँची (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700001 के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम,1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति –

(i) उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई कार्रवाई से हुई क्षति या संभावित क्षति अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन किसी नुकसानी के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा ; और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (4) के अधीन समाप्त हो गये खनन पट्टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को यथावर्णित करने के लिए उक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, सारणियों और अन्य दस्तावेज़, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनो के भीतर, महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रजहारा क्षेत्र, जिला- लातेहार (झारखंड) या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, दरभंगा हाउस, राँची – 834029 (झारखण्ड) को सुपुर्द करेगा ।

अनुसूची

धाधु पूर्व ब्लॉक, रजहारा क्षेत्र

जिला-लातेहार, झारखंड

(रेखांक संख्यांक आर.ई.वी./04/2016, तारीख 01 अप्रैल, 2016)

सभी अधिकार:

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
ए	धाधु	बालुमाथ	212	लातेहार	815.90	भाग
ए	भैसादोन	बालुमाथ	213	लातेहार	62.90	भाग
ए	पिंडारकॉम	बालुमाथ	217	लातेहार	78.34	भाग
ए	बारा	बालुमाथ	218	लातेहार	48.50	भाग
ए	मारांगलोईया	बालुमाथ	222	लातेहार	176.67	भाग
ए	बीशुनपुर	बालुमाथ	223	लातेहार	655.99	भाग
बी	बलबल	बालुमाथ	224	लातेहार	203.97	भाग
बी	महुआटाँड़	बालुमाथ	236	लातेहार	504.80	भाग
बी	चाकला	चंदवा	238	लातेहार	584.49	भाग
कुल: 3131.56 हेक्टेयर (लगभग) या 7738.09 एकड़ (लगभग)						

सीमा विवरण:

क-ख-ग बिन्दु 'क' से रेखा शुरू होकर पिंडारकॉम, मारांगलोईया, बीशुनपुर, भैसादोन, धाधु ग्राम भाग से गुजरते हुए बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ-ड. रेखा धाधु, चाकला ग्राम भाग से गुजरते हुए बिन्दु 'ड.' पर मिलती है।

ड.-च-छ रेखा चाकला, महुआटाँड़, बलबल, धाधु ग्राम भाग से गुजरते हुए बिन्दु 'छ' पर मिलती है ।

छ-ज-क रेखा धाधु, बीशुनपुर, मारांगलोईया, बारा, पिंडारकॉम ग्राम भाग से गुजरते हुए प्रारंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/8/2016-पीआरआईडब्ल्यू-I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July , 2016

S.O. 2548(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number Rev/04/2016, dated the 1st April, 2016 containing details of the areas covered by this notification may be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Land and Revenue Department), Darbhanga House, Ranchi- 834029 (Jharkhand) or at the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Rajhara, District-Latehar (Jharkhand) or at the office of the Deputy commissioner, District-Latehar, Jharkhand or at the office of the General Manager (Exploration Division), RI- III, Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001; .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in land described in the aforesaid Schedule.

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may —

(i) claim compensation under sub-section (1) of section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or

(ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act, to the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Rajhara Area, District Latehar (Jharkhand) or General Manager, Central Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Darbhanga House, Ranchi-834029 (Jharkhand) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

DHADHU EAST BLOCK OF RAJHARA AREA

DISTRICT-LATEHAR , JHARKHAND

(Plan bearing number Rev/04/2016, dated the 1st April, 2016)

ALL RIGHTS:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area (in hectares)	Remarks
A	DHADHU	BALUMATH	212	LATEHAR	815.90	Part
A	BHAISADON	BALUMATH	213	LATEHAR	62.90	Part
A	PINDARKOM	BALUMATH	217	LATEHAR	78.34	Part
A	BARA	BALUMATH	218	LATEHAR	48.50	Part
A	MARANGLOIYA	BALUMATH	222	LATEHAR	176.67	Part
A	BISHUNPUR	BALUMATH	223	LATEHAR	655.99	Part
B	BALBAL	BALUMATH	224	LATEHAR	203.97	Part
B	MAHUATANR	BALUMATH	236	LATEHAR	504.80	Part
B	CHAKLA	CHANDWA	238	LATEHAR	584.49	Part
TOTAL: 3131.56 hectares (approximately) or 7738.09 acres (approximately)						

Boundary Description:

A-B-C Line start from 'A', passes through Part Village of Pindarkom, Marangloiya, Bishunpur, Bhaisadon, Dhadhu and meets at point 'C'.

C-D-E Line passes through part Village of Dhadhu, Chakla and meets at point 'E'.

E-F-G Line passes through Part Village of Chakla, Mahuatanr, Balbal, Dhadhu and meets at point 'G'.

G-H-A Line passes through part Village of Dhadhu, Bishunpur, Marangloiya, Bara, Pindarcom and meets at point 'A'.

[F. No. 43015/8/2016-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.